2019-21 शैक्षणिक सत्र से भारतीय प्रबंध संस्थान (आइआइएम) नागपुर ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 फीसद आरक्षण देने की घोषणा की है। इसके लिए संस्थान में सीटों की संख्या 120 से बढ़ाकर 130 कर दी गई है।

पीएम के विराट टैक्सी बयान पर कांग्रेस का करारा पलटवार

दो टूक ▶ मोदी के आरोपों को करार दिया झूठ का पुलिंदा

कहा, हार से डरे पीएम लगा रहे अनर्गल आरोप

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

कांग्रेस ने पूर्व पीएम राजीव गांधी पर नौसेना के युद्धपोत आइएनएस विराट को निजी टैक्सी की तरह इस्तेमाल करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आरोपों को झूठ का पुलिंदा बताते हुए करारा पलटवार किया है। कई शीर्ष नौसेना अधिकारियों की ओर से पीएम मोदी के दावे को गलत ठहराए जाने का हवाला देते हुए कांग्रेस ने कहा कि चुनाव में निश्चित हार देख पीएम झूठे और अनर्गल आरोप लगा रहे हैं।

कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने मोदी को 'दुष्प्रचार का मास्टर' बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी पूर्व पीएम राजीव गांधी के खिलाफ बेबुनियाद और झूठा दुष्प्रचार कर रहे हैं। राजीव गांधी के आइएनएस विराट पर परिवार और मित्रों को छुट्टी के लिए ले जाने का आरोप बिल्कुल गलत है। सिंघवी ने कहा कि पूर्व नौसना प्रमुख एडमिरल एल रामदास समेत उस समय के कई वरिष्ठ पूर्व नौसेना अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि राजीव गांधी आधिकारिक दौरे पर थे।

कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि झूठ की उम्र ज्यादा नहीं होती और पीएम का असत्य एक दिन बाद ही देश के सामने आ गया है। भाजपा को 'बहुत झूठ पार्टी' करार देते हुए उन्होंने कहा कि सत्ताधारी दल ने देश में लगातार दुष्प्रचार का जाल बिछाने का प्रयास किया है, मगर हमेशा सच सामने आया है। सिंघवी ने आरोप लगाया कि मोदी ने लगातार बेबुनियाद और गलत बातों के जरिये प्रधानमंत्री पद की गरिमा घटाई है।

चुनाव में भाजपा की सियासी जमीन खिसकने का दावा करते हुए सिंघवी ने कहा कि आइएनएस विराट का 2019 के चुनाव से भला कैसा जुड़ाव था कि पीएम ने अनर्गल टिप्पणी की। उनके अनुसार चुनाव में असली मुद्दे किसानों और खेती का संकट, रोजगार की चुनौती और नोटबंदी से नष्ट हुए छोटे कारोबार की मुसीबतें हैं। राहुल गांधी की नागरिकता को मुद्दा बनाने की हुई कोशिश का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जब सत्ताधारी दल पांच साल सत्ता में रहने के बाद चुनाव के बीच इसे उठाता है तो संकेत साफ है कि वह चुनाव हार रहा है। सिंघवी ने कहा कि यह कल्पना से परे है कि हमारे प्रधानमंत्री चुनाव के बीच एक दिवंगत पूर्व पीएम के 30 साल पहले नौसेना युद्धपोत पर जाने को विवाद का विषय बनाते हैं और यह साफ दर्शाता है कि मोदी अपनी विफलताओं को इनकी आड़ में छिपा रहे हैं।

भाजपा की नफरत के चलते गई राजीव की जान : अहमद पटेल

नई दिल्ली, आएएनएस/प्रेट्र : कांग्रेस नेता अहमद पटेल ने आरोप लगाया कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को भाजपा की नफरत की राजनीति का शिकार बनना पड़ा। भाजपा समर्थित तत्कालीन सरकार ने उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा मुहैया कराने से मना कर दिया था। पटेल ने गुरुवार को ट्वीट कर कहा कि एक शहीद प्रधानमंत्री की निंदा करना कायरता की पराकाष्ठा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि विश्वसनीय खुफिया जानकारी और सुरक्षा के लिए लगातार की जा रही मांग के बावजूद विश्वनाथ प्रताप सिंह की अगुवाई वाली तत्कालीन सरकार ने राजीव गांधी को सिर्फ एक पीएसओ (निजी सुरक्षा अधिकारी) दिया था। उन्होंने ट्वीट में कहा है, 'राजीव की जान उनकी (भाजपा) नफरत के कारण गई और उन पर लगाए जा रहे निराधार आरोपों और अपशब्दों का जवाब देने के लिए आज वह हमारे बीच नहीं हैं।'

मोदी जी! मेरे पिता के बारे में बात करिए, मगर राफेल पर भी बोलिए : राहुल

जागरण संवाददाता, सिरसा

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने राफेल मुद्दे को लेकर फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। बृहस्पतिवार दोपहर सिरसा में चुनावी रैली करने पहुंचे राहुल ने कहा कि वह (प्रधानमंत्री) मेरे पिता स्वर्गीय राजीव गांधी के बारे में बोलें, लेकिन राफेल के बारे में भी तो बयान दें। मंच पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक तंवर भी मौजूद थे। सिरसा सुरक्षित सीट से तंवर ही कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। राहुल की मौजूदगी में ही उन्होंने प्रधानमंत्री को रावण की संज्ञा दे दी।

दरअसल, दिवंगत प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर घोटाले के आरोपों के बाद बोफोर्स घोटाला चर्चा में आ गया था। राहुल चाहते हैं कि राफेल मुद्दा बना रहे। इसलिए उन्होंने कहा कि मोदी को राजीव गांधी की बात करनी है तो करें, राहुल गांधी की बात करनी है तो करें, लेकिन जनता को यह भी तो समझा दें कि आपने राफेल प्रकरण में क्या किया और क्या नहीं किया।

केंद्र में दो बजट बनाने के वादा : कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस सरकार आने के बाद केंद्र में दो बजट बनेंगे। नेशनल बजट से पहले किसानों का अलग से बजट बनेगा। किसानों को बता देंगे कि इस साल सरकार उनको कितना पैसा देने जा रही है। आपकी कितनी एमएसपी बढ़ाई जा रही है। कितना कर्जा माफ होगा। कितना मुआवजा मिलेगा।

आप अमीरों को दीजिए, मैं गरीबों में बाटूंगा : राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनिल अंबानी, नीरव मोदी जैसे सिर्फ 15 उद्योगपतियों के लिए काम करते हैं। वह सिर्फ उन्हीं का भला चाहते हैं। उन्हें गरीबों से कोई सरोकार नहीं। बोले-ठीक है...मोदीजी आप अपने अमीर दोस्तों को ही पैसे बांटिए, मैं तो गरीबों में बांटूंगाबता दें कि एक दिन पहले ही कुरुक्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताओं द्वारा पिछले कई वर्षों से लेकर अब तक दी गई गालियों का सिलसिलेवार जिक्र कर कांग्रेस को कठघरे में खड़ा करने का प्रयास किया था।

नामदार ने युद्धपोत पर छुट्टी बिताई, कामदार ने आतंकियों पर हमला किया : जेटली

जेएनएन, नई दिल्ली : आइएनएस विराट के इस्तेमाल पर पीएम नरेंद्र मोदी के बयान को दोहराते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि जहां कामदारों ने युद्धपोत का इस्तेमाल आतंकियों पर हमले के लिए किया, वहीं नामदारों ने उसका निजी कारणों से किया।

गुरुवार को ट्वीट में जेटली ने कहा है, 'कामदारों ने भारतीय नौसेना के युद्धपोत का इस्तेमाल आतंकियों पर हमले के लिए किया। नामदारों ने उसका इस्तेमाल परिवार और ससुराल के साथ छुट्टियां बिताने के लिए किया।' बुधवार को रैली के दौरान प्रधानमंत्री ने गांधी परिवार पर निजी टैक्सी की तरह आइएनएस विराट का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था। इसे लेकर भाजपा-कांग्रेस में तकरार शुरू हो गई है। एक अन्य ट्वीट में वित्त मंत्री ने कहा है, 'मई 1991 से 2004 तक कांग्रेस राजीव गांधी की हत्या के लिए अपनी मौजूदा सहयोगी द्रमुक को जिम्मेदार ठहराती थी। संयुक्त मोर्चा सरकार से इसी आधार पर समर्थन भी वापस लिया था। 28 साल बाद कांग्रेस को भाजपा की भूमिका नजर आ रही है। दिसंबर 1990 से मई 1991 तक, जिस दौरान राजीव गांधी की हत्या की गई, उस दौरान कांग्रेस केंद्र में चंद्रशेखर सरकार का समर्थन कर रही थी।'

हम पर आरोप लगाने का हक नहीं: सीतारमण: भोपाल में रक्षामंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी अपने परिवार वालों और ससुराल के लोगों के साथ आइएनएस विराट पर सैर-सपाटा करते रहे हैं और अब उन्हीं की पार्टी के लोग हम पर सेना के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। उन्हें हम पर आरोप लगाने का हक नहीं है। वह भोपाल में पत्रकारों से चर्चा कर रहीं थीं।

उन्होंने कहा कि आइएनएस विराट को लेकर सारी जानकारी पब्लिक डोमेन में है। सबको सच पता है। आइएनएस विराट के क्रू मेंबर ने भी स्वीकार किया है कि राजीव गांधी अपने परिजन के साथ उसमें घूमते थे। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ गाली का इस्तेमाल कर रहे हैं। वे उसे ही एकत्र करके उन्हें वापस कर रहे हैं।

एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि स्व. राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री रहे हैं और बाद में शहीद हो गए। हम उनका पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम उनकी सरकार के कुशासन, उनकी सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार और उनकी नीतियों के बारे में बात नहीं कर सकते हैं। इसके बगैर लोगों को उनके बारे में सही जानकारी कैसे मिलेगी।

न्यूज गैलरी

तेलुगु अभिनेता पर धोखाधड़ी का केस दर्ज

हैदराबाद : एक प्रख्यात समाचार चैनल के प्रमुख और तेलुगु फिल्म अभिनेता रवि प्रकाश के खिलाफ एक कंपनी के प्रमोटरों ने धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि शिवाजी ने फर्जी दस्तावेज देकर धोखाधड़ी की है। दरअसल, दक्षिण भारत के टीवी9 समूह के सीईओ रवि प्रकाश को पद से हटा दिया गया है। उन पर जालसाजी के साथ ही फंड में हेराफेरी करने के आरोप हैं। हाल ही में 'टीवी9' को आलंद मीडिया कंपनी ने टेक ओवर किया है। इन आरोपों के सामने आने के बाद नए मैनेजमेंट ने रवि प्रकाश को पद से हटा दिया। बताया जाता है कि '10टीवी' चैनल के सीईओ सिंगा राव को 'टीवी9' का नया सीईओ बनाया गया है। इस पर रवि प्रकाश ने गुरुवार को कहा कि उनके खिलाफ झूठे मामले बनाए गए हैं। वह भागे नहीं हैं, जैसा कि मीडिया के कुछ धड़े बता रहे हैं। उन्होंने एक वीडियो संदेश में कहा कि वह अभी भी एबीसीएल कंपनी के सीईओ हैं। यह कंपनी कई टीवी चैनल चलाती है। (प्रेट्र)

मानहानि मामले में जयराम रमेश को मिली जमानत

नई दिल्ली : मानहानि के एक मामले में कांग्रेस नेता जयराम रमेश को राउज एवेन्यू स्थित विशेष अदालत से गुरुवार को जमानत मिल गई। रमेश को अदालत ने 20 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बेटे विवेक डोभाल की तरफ से मानहानि का केस दायर किया गया है। इस मामले में आरोपित एक पत्रिका के मुख्य संपादक और पत्रकार को पिछली सुनवाई पर ही जमानत मिल गई थी। पिछली सुनवाई पर जयराम रमेश पेश नहीं हुए थे। विवेक डोभाल ने पत्रिका, उसके मुख्य संपादक, पत्रकार और जयराम रमेश के खिलाफ मानहानि का केस दायर किया था। (जासं)

मिशेल के सहयोगी के खिलाफ दोबारा समन जारी

नई दिल्ली : अगस्ता वेस्टलैंड मामले में आरोपित क्रिश्चियन मिशेल के सहयोगी डेविड सिम्स के खिलाफ विशेष अदालत ने फिर से समन जारी किया है। इसके पहले गुरुवार को पेश होने के लिए समन जारी किया गया था, लेकिन आरोपित सिम्स के अदालत में पेश न होने के चलते दोबारा समन जारी किया गया है। अदालत ने सिम्स के अलावा दो कंपनियों ग्लोबल सर्विस एफजेडई और ग्लोबल ट्रेडर्स को भी समन जारी किया है। उधर, सुनवाई के दौरान मिशेल की तरफ से अदालत में अर्जी दायर कर तिहाड़ जेल में खराब खाने की शिकायत की गई है। (जासं)

नागरिकता विवाद मामले में राहुल को मिली बड़ी राहत

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

नागरिकता विवाद मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता का मुद्दा उठाने वाली याचिका खारिज कर दी। याचिका में राहुल पर ब्रिटिश नागरिक होने का आरोप लगाते हुए उनके लोकसभा चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग की गई थी। साथ ही गृह मंत्रालय को राहुल की नागरिकता के मामले में आई शिकायत पर जल्दी फैसला करने का आदेश मांगा गया था।

मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, दीपक गुप्ता और संजीव खन्ना की पीठ ने गुरुवार को याचिका खारिज करते हुए कहा, 'अगर कोई कंपनी किसी फॉर्म में लिख देती है कि वह ब्रिटिश नागरिक हैं, तो क्या वह ब्रिटिश नागरिक हो जाएंगे।' इससे पहले याचिकाकर्ता जय भगवान गोयल और सीपी त्यागी के वकील ने दलील दी थी कि इंग्लैंड की एक कंपनी ने 2005-06 में कंपनी के वार्षिक डाटा के साथ दिये गए फार्म में राहुल गांधी को ब्रिटिश नागरिक बताया है। याचिकाकर्ता का कहना था कि चुनाव आयोग और केंद्र सरकार ने राहुल गांधी के स्वेच्छा से ब्रिटिश नागरिकता लेने के बारे में संतोषजनक कार्रवाई नहीं की जबकि 2015 में सुब्रह्मण्यम स्वामी ने इसका राजफाश किया था। याचिकाकर्ता के वकील ने राहुल की ब्रिटिश नागरिकता का मुद्दा उठाते हुए कहा कि वह प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। ऐसे में उनकी नागरिकता का मसला स्पष्ट होना चाहिए। वकील की इस दलील पर मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा कि कौन प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता अगर 130 करोड़ जनता कहेगी तो क्या आप प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहेंगे। कोर्ट ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी।

> अगर कोई कंपनी किसी फार्म में लिख देती है कि वह ब्रिटिश नागरिक है तो क्या वह ब्रिटिश नागरिक हो जाएगा।
> -सुप्रीम कोर्ट

याचिका में मांग की गई थी कि गृह मंत्रालय को निर्देश दिया जाए कि वह राहुल की नागरिकता के बारे में आी शिकायत पर जल्द कार्रवाई करे। साथ ही चुनाव आयोग को राहुल को लोस चुनाव लड़ने से रोकने और उनका नाम मतदाता सूची से हटाने की भी मांग की गई थी।

राजीव के हत्यारों की रिहाई के खिलाफ दायर याचिका खारिज

नई दिल्ली, प्रेट्र/आइएएनएस : सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों को रिहा करने के फैसले के खिलाफ दायर याचिका गुरुवार को खारिज कर दी। 21 मई, 1991 को राजीव गांधी के साथ मारे गए लोगों के परिजनों ने यह याचिका दायर की थी। याचिका में इस मामले में सजा पाने वाले सातों दोषियों को रिहा करने के तमिलनाडु सरकार के 2014 के फैसले को चुनौती दी गई थी।

प्रधान न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने कहा कि संविधान पीठ ने 2015 के अपने फैसले में याचिका में उठाए गए सभी प्रासंगिक मुद्दों का निपटारा कर दिया था। पीठ ने कहा कि संविधान पीठ के फैसले के मद्देनजर इस याचिका में कुछ भी नया नहीं है। तमिलनाडु सरकार के फैसले के खिलाफ केंद्र की याचिका पर संविधान पीठ ने फैसला दिया था। इस मामले में पेरारिवलन, वी श्रीहरन उर्फ मुरुगन, टी सुतेंद्रराजा उर्फ संतन, जयकुमार, रॉबर्ट पायस, पी रविचंद्रन और नलिनी को उम्रकैद की सजा हुई थी और ये सभी 25 साल से अधिक समय से जेल में बंद हैं। द्रमुक अध्यक्ष एमके स्टालिन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कहा कि सभी दोषियों की तत्काल रिहाई होनी चाहिए।

'राफेल पर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को किया गुमराह'

नई दिल्ली, प्रेट्र : पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी और वकील प्रशांत भूषण ने राफेल मामले में अब एक रिज्वाइंडर एफिडेविट देकर सुप्रीम कोर्ट में फैसले के खिलाफ दावा कर उसे चुनौती दी है। उनका आरोप है कि राफेल युद्धक विमान के सौदे में पिछले साल दिसंबर में केंद्र सरकार ने सर्वोच्च अदालत को गुमराह और फ्रॉड करके अपने पक्ष में फैसला लिया है। वहीं केंद्र सरकार ने एक हलफनामा दायर करके सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि याचिकाकर्ताओं की झूठे साक्ष्यों पर आधारित याचिका पूरी तरह गलत है।

14 दिसंबर के राफेल पर फैसले के खिलाफ इन याचिकाकर्ताओं ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में एक प्रत्युत्तर हलफनामा दायर किया है। इसमें कहा गया है कि इस फैसले की समीक्षा होनी चाहिए, चूंकि राफेल मामले में फैसला कई झूठों और तथ्यों और सूचनाओं को छिपाकर हासिल किया गया है।

यशवंत सिन्हा, शौरी और प्रशांत भूषण की तिकड़ी ने अपने हलफनामे में कहा है कि यह साफ है कि सरकार ने अदालत को सीलबंद लिफाफे में दिए गए नोट्स के विभिन्न बिंदुओं पर गुमराह किया है। सरकार ने अदालत से कई जानकारियां और तथ्य भी छिपाए हैं। इस तरह सरकार ने अदालत के साथ फ्रॉड करके 'विवादास्पद' फैसला हासिल किया है।

▶ यशवंत सिन्हा, शौरी और प्रशांत भूषण ने रिज्वाइंडर एफिडेविट देकर किया दावा

▶ कहा-सरकार ने अदालत से फ्रॉड करके अपने पक्ष में फैसला लिया

केंद्र ने आरोपों की हवा निकाली : केंद्र सरकार ने गुरुवार को ही सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि राफेल मामले में एक अज्ञात सरकारी नौकर के हवाले से झूठे साक्ष्य संबंधी याचिका को लेकर राफेल मामले में सुनवाई करना पूरी तरह से गलत है। चूंकि कुछ मीडिया रिपोर्ट और कुछ अधूरी आंतरिक फाइल नोटिंग किसी भी अदालती कार्यवाही का आधार नहीं हो सकती हैं। यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी और प्रशांत भूषण की याचिका का जवाब देते हुए केंद्र सरकार ने कहा कि अदालत में गलतबयानी करने और तथ्यों को छिपाने के आरोपों पर अदालत से कहा कि यह आरोप पूरी तरह से गलत और निराधार हैं। सरकार ने कहा है कि उसने अदालत में जो भी बयान और साक्ष्य दिए हैं वह रिकार्ड पर आधारित हैं। जबकि याचिकाकर्ताओं की दलीलें मीडिया रिपोर्ट में आई रक्षा मंत्रालय की कुछ फाइलों के 'चुनिंदा लीक' पर आधारित हैं। यह बातें कुछ अफसरों या एक अफसर की राय पर आधारित है जो राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा मामले की अधूरी छवि पेश कर रही है।

आज सर्वोच्च अदालत में सुनवाई : मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के नेतृत्व में एक खंडपीठ आगामी शुक्रवार को राफेल पर फैसले की समीक्षा संबंधी याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट सिन्हा, शौरी और भूषण की फ्रांस से हुए राफेल सौदे में अनियमितताओं की याचिका को पहले ही खारिज कर चुका है।

गडकरी ने विपक्ष पर लगाया चुनाव की गरिमा गिराने का आरोप

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▶ प्रधानमंत्री के खिलाफ विपक्षी नेताओं की 56 गालियों को गिनाया

▶ भाजपा नेता ने कहा, राजनीतिक विश्वसनीयता पूरी तरह खो चुकी है कांग्रेस

भाजपा ने विपक्ष और खासतौर पर कांग्रेस पर चुनाव की गरिमा गिराने का आरोप लगाया है। केंद्रीय सड़क, राजमार्ग व परिवहन मंत्री गडकरी ने 56 गालियों की सूची बताई, जो विपक्षी नेता अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे चुके हैं। गडकरी ने साफ किया कि राहुल गांधी भले ही अब 'न्याय' की बात कर रहे हों, लेकिन नेहरू के समय से ही लगातार गरीबी हटाने की बात करने वाली कांग्रेस अपनी राजनीतिक विश्वसनीयता पूरी तरह खो चुकी है।

मोदी सरकार के दौरान हुए विकास कार्यों और आम जनता को उनसे मिले फायदों को गिनाते हुए गडकरी ने कहा कि कांग्रेस विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। यदि विकास के मुद्दे पर चुनाव होता तो कांग्रेस के 50 वर्षों के विकास की तुलना मोदी सरकार के पांच वर्षों के विकास से होती, जिसमें कांग्रेस कहीं नहीं ठहरत है। विकास के मुद्दे से भटकाने के लिए कांग्रेस ने भय का सहारा लिया। उसने अल्पसंख्यकों और दलितों के बीच भय का वातावरण बनाने की कोशिश की, ताकि विकास के मुद्दे पर बातचीत ही नहीं हो सके।

गडकरी ने बताया कि किस तरह मोदी सरकार के दौरान सामाजिक क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ। सड़क, पानी, जनधन बैंक खाते, पक्का मकान, गैस और बिजली से लेकर मुद्रा जैसी योजनाओं ने देश के करोड़ों लोगों का जीवन बदलने का काम किया है। उन्होंने बताया कि किस तरह केवल सड़क क्षेत्र में उन्होंने 17 लाख करोड़ रुपये का काम किया है और एक लाख करोड़ रुपये की लागत से दिल्ली से मुंबई तक सुपर एक्सप्रेस-वे का काम शुरू हो गया है। उन्होंने प्रियंका गांधी के प्रयागराज से बनारस तक नाव से चुनाव प्रचार के दौरान मोदी सरकार के खिलाफ आरोपों पर तंज कसते हुए कहा कि यह मोदी सरकार के दौरान जलमार्ग पर काम करने का परिणाम है कि वह नाव से जा सकीं। सरकार काफी हद तक गंगा को साफ करने में सफल रही, इसीलिए प्रियंका गांधी ने तीन बार गंगा जल से आचमन किया। कुंभ में 20 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई, जबकि पिछली बार कुंभ के दौरान मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने गंगा में डुबकी लगाने से इन्कार कर दिया था। कांग्रेस के 'न्याय' दिलाने के नारे पर तंज कसते हुए गडकरी ने कहा कि वह अपनी राजनीतिक विश्वसनीयता खो चुकी है। 1984 के दंगों के आरोपितों को बढ़ावा देने और पीड़ितों को न्याय से वंचित रखने वाले अब न्याय की बात कर रहे हैं।

राहुल को कारण बताओ नोटिस के जवाब के लिए मिली मोहलत

नई दिल्ली, प्रेट्र : चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को अप्रामाणिक तथ्यों के आधार पर बयान देने के मामले में जवाब के लिए शुक्रवार शाम तक की मोहलत दे दी। उल्लेखनीय है कि 23 अप्रैल को मप्र में चुनावी सभा के दौरान राहुल ने कहा था कि पीएम मोदी की सरकार एक ऐसा कानून लेकर आई है जो आदिवासियों को गोली मारने की इजाजत देती है।

सरकार दस आइपीएस अफसरों को करेगी समय से पहले रिटायर

नई दिल्ली, प्रेट्र : गृह मंत्रालय ने अब नाकारे आइपीएस अफसरों पर सख्ती करने जा रही है। ऐसे तकरीबन 1200 आइपीएस अफसरों के कामकाज पर नजर रखी जा रही है। इनमें से दस आइपीएस अफसरों को समय से पहले रिटायर किया जा सकता है। मंत्रालय ने कुल 1181 आइपीएस अफसरों के सर्विस रिकार्ड की समीक्षा की है। पिछले तीन सालों में नाकारा साबित हो रहे इन अफसरों पर सरकार की निगाह है। मंत्रालय के एक अफसर ने बताया कि और भी कई अफसरों को इस समीक्षा से गुजरना पड़ सकता है, चूंकि यह एक सतत प्रक्रिया है।

सर्विस रिकार्ड की समीक्षा वर्ष 2016 से 2018 के बीच ऑल इंडिया सर्विसेज (मृत्यु और सेवानिवृति लाभ) नियमों, 1958 के नियम 16 (3) के तहत की गई है। इस नियम के मुताबिक केंद्र सरकार संबंधित राज्य सरकार के परामर्श से एक आइएएस-आइपीएस अफसर को जनहित में रिटायर होने को कह सकती है। इसके लिए वह उसे तीन महीने का पूर्व नोटिस या तीन महीने का वेतन और इस नोटिस के साथ भत्ते दे सकती है। कुल 1181 आइपीएस अफसरों में से दस के लिए जनहित में समय पूर्व सेवानिवृति की सिफारिश की गई है। गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार कुल मंजूर 4,940 आइपीएस अफसरों की जगह देश भर में कुल 3,972 आइपीएस अफसर काम कर रहे हैं।

बीएसएफ से बर्खास्त तेज बहादुर की याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

वाराणसी से लोकसभा चुनाव का नामांकन रद किए जाने को दी थी चुनौती

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी से समाजवादी पाटी (सपा) प्रत्याशी के तौर पर नामांकन भरने वाले बीएसफ के बर्खास्त जवान तेज बहादुर को सुप्रीम कोर्ट से भी निराशा हाथ लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने नामांकन रद करने के आदेश को चुनौती देने वाली तेज बहादुर की याचिका गुरुवार को खारिज कर दी।

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि उन्हें तेज बहादुर की याचिका पर विचार करने का कोई आधार नजर नही आता। चुनाव आयोग ने एक मई को तेज बहादुर का नामांकन इस आधार पर रद कर दिया था कि उन्होंने जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत जरूरी प्रमाणपत्र पेश करके यह नहीं बताया कि उन्हें भ्रष्टाचार या राष्ट्र के प्रति निष्ठा नहीं रखने के लिए तो बर्खास्त नहीं किया गया है। तेज बहादुर ने आयोग के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

गुरुवार को मामले पर सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया चल रही है इसलिए इस समय याचिका पर सुनवाई नहीं होनी चाहिए। इससे प्रक्रिया दूषित हो सकती है। ऐसे मामले में चुनाव खत्म होने के बाद याचिका दाखिल करना ही एक उपाय है। तेज बहादुर की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि चुनाव आयोग ने गलत तरीके से उनका नामांकन रद किया है। लेकिन कोर्ट उनकी दलीलों से प्रभावित नहीं हुआ। अंत में प्रशांत भूषण ने मतदान खत्म होने के बाद याचिका दाखिल करने की अनुमति मांगी। इस पर कोर्ट ने कहा कि उन्हें जो करना कर दिया।

बता दें कि तेज बहादुर का आरोप है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत सुनिश्चित करने के लिए उनका नामांकन रद किया गया है। उनका कहना है कि उन्हें सिर्फ खराब खाने की शिकायत करने पर अनुशासनहीनता के लिए बर्खास्त किया गया है जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत चुनाव लड़ने में आड़े नहीं आती। उसके लिए चुनाव आयोग को प्रमाणपत्र लेने की भी जरूरत नहीं थी। बीएसफ जवान तेज बहादुर खराब खाने की शिकायत करने का वीडियो जारी करने के बाद चर्चा में आए थे। बाद में उन्हें बीएसएफ से बर्खास्त कर दिया गया था। सपा ने तेज बहादुर को वाराणसी प्रत्याशी बनाया था।

बढ़ेगी परेशानी

हाई कोर्ट ने आरक्षण का आधार बनी रिपोर्ट तलब की, मौजूदा अशोक गहलोत सरकार ने फरवरी में दिया था आरक्षण, प्रदेश में आरक्षण सीमा हो गई है 50 फीसद से पार

राजस्थान में गुर्जरों के आरक्षण पर फिर लटकी तलवार

मनीष गोधा, जयपुर

राजस्थान में मौजूदा सरकार द्वारा गुर्जरों को दिए गए पांच फीसद आरक्षण पर एक बार फिर तलवार लटकती नजर आ रही है। इस बारे में राजस्थान हाई कोर्ट ने सरकार से वह रिपोर्ट तलब की है, जिसे आधार बना कर गुर्जर सहित पांच अन्य पिछड़ी जातियों को पांच प्रतिशत आरक्षण दिया गया है।

गौरतलब है कि इसी साल फरवरी माह में गुर्जरों ने पांच प्रतिशत आरक्षण की मांग को लेकर राजस्थान में रेल रोको आंदोलन किया था। इसे खत्म कराने के लिए राज्य सरकार ने विधानसभा सत्र के दौरान गुर्जर सहित पांच अन्य पिछड़ी जातियों को पांच प्रतिशत आरक्षण का लाभ दे दिया था। इसके चलते प्रदेश में जातिगत आरक्षण 50 प्रतिशत की सीमा पार कर 54 प्रतिशत हो गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने जातिगत आरक्षण के लिए 50 प्रतिशत की सीमा लागू कर रखी है। सरकार के इस विधेयक के विरोध में वकील अभिनव शर्मा ने एक जनहित याचिका दायर की थी। इसी की सुनवाई के दौरान गुरुवार को हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एस. रविंद्र भट्ट और जस्टिस प्रकाश गुप्ता ने निर्देश दिए कि सरकार वह रिपोर्ट कोर्ट में पेश करे, जिसके आधार पर आरक्षण दिया गया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस रिपोर्ट की एक प्रति याचिकाकर्ताओं को भी दी जाए।

याचिकाकर्ता अभिनव शर्मा ने बताया कि सरकार की ओर से कहा गया था कि यह आरक्षण जस्टिस एसके गर्ग समिति और ओबीसी कमीशन की सिफारिशों के आधार पर दिया गया है। कोर्ट ने इसी रिपोर्ट को तलब किया है और इस मामले की सुनवाई 29 मई को करने के निर्देश दिए हैं।

तब भी हाई कोर्ट ने लगा दी थी रोक : वर्ष 2015 में तत्कालीन भाजपा सरकार ने भी गुर्जरों सहित पांच अन्य पिछड़ी जातियों को इसी तरह पांच प्रतिशत आरक्षण दिया था और उस समय भी हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। तब ओबीसी कमीशन ने जस्टिस एसके गर्ग समिति का गठन किया था। इस समिति को यह पता लगाना था कि सरकार की ओर से पारित विधेयक में वे क्या कमियां रहीं, जिनके कारण कोर्ट ने आरक्षण पर रोक लगाई। इसके साथ ही पिछड़ेपन का सर्वे भी करना था। मौजूदा सरकार ने कोर्ट में कहा है कि इस समिति और ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर यह आरक्षण दिया गया है। अब कोर्ट उस रिपोर्ट और ओबीसी कमीशन की सिफारिशों का परीक्षण करना चाहता है। गौरतलब है कि राजस्थान में गुर्जरों को आरक्षण का लाभ चार बार दिया जा चुका है लेकिन हर बार इसे कोर्ट में चुनौती मिल जाती है और इस पर रोक लग जाती है। गुर्जरों को आरक्षण का लाभ सबसे पहले 2008 में दिया गया। उस समय गुर्जरों ने पहली बार बड़ा आंदोलन किया था।

आज गुर्जर करेंगे हिण्डौन में बैठक : इस बीच सरकारी भर्तियों में आरक्षण का लाभ नहीं दिए जाने के मामले को लेकर शुक्रवार को हिण्डौन में गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की बैठक होगी। समिति के प्रवक्ता शैलेंद्र सिंह ने बताया कि बैठक में कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला सहित गुर्जर समाज के सभी बड़े नेता शामिल होंगे। इस दौरान मामले में आगे की रणनीति पर चर्चा होगी।

'गौरी लंकेश हत्याकांड से प्रज्ञा का कोई संबंध नहीं'

बेंगलुरु, प्रेट्र : पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता गौरी लंकेश हत्याकांड की जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआइट) ने उन मीडिया खबरों का खंडन किया जिनमें कहा गया था कि उस हत्याकांड में भोपाल से चुनाव लड़ रहीं साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का भी हाथ हो सकता है।

एक अं